न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 18/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/41

प्रार्थी:–
ग्राम पंचायत मेव, पंचायत समिति सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली जरिये संरपच घेवरराम पुत्र डुगाराम जाति बावरी निवासी बुटेलाव तहसील सोजत सिटी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. मृतक ढगलाराम पुत्र नारायणलाल के कायम मुकाम 1/1 दयाराम पुत्र ढगलाराम 1/2 नाथुराम पुत्र ढगलाराम जतिगण मेघवाल निवासी रामासनी सांदवान, तहसील सोजत, जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 30/04/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत मेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 11306 दिनांक 27.12.1974 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड तलब किया गया, जिसके संबध में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का पत्र प्राप्त। अप्रार्थी बावजुद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत मेव द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.12.1974 को अप्रार्थी को अनुसूचित जाति व जन जाति, श्रमिक तथा कारीगरो को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भुखण्ड आवंटित कर पट्टा संख्या 11306 जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कोई मिसल तथा प्रस्ताव अंकित नहीं है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जारी नहीं कर गोचर भूमि खसरा नम्बर 555 में जारी किया गया है। उक्त खसरे नम्बर की भूमि आज भी राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। अप्रार्थी के भाई को 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था जिसमें अंकित पडौस वर्तमान में मौके पर नहीं है। ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गोचर भूमि का पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत मेव द्वारा अप्रार्थी ढगलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11306 दिनांक 27.12.1974 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि गोचर है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 142(1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध विकास अधिकारी सोजत की रिपोर्ट दिनांक 25.03.2019 के अनुसार ग्राम रामासनी सादंवान के खसरा नम्बर 488 गै. मु.आगौर, खसरा नम्बर 555, 834, 825, 770 गै.मु.गौचर में से अवैध अतिक्रमण झौपडे, कच्चे, छपरे व बाडों को दिनांक 16.03.2019 को हटा दिया गया है। उक्त रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार ''पक्के आवासीय मकानों को अतिशीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था की हिदायत दी गयी एवं पक्के मकानों के भी गोचर एवं प्रतिबंन्धित भूमि ओरण में स्थित होने से कभी भी अग्रिम आदेशानुसार हटाये जाने की हिदायत दी गयी।'' जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया तथा उक्त खसरे में बने विधिविरूद्ध पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली के संलग्न उपखण्ड अधिकारी सोजत की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2020 में अंकितानुसार ग्राम रामासनी सान्दवान में खसरा संख्या 555 किस्म गै.मु. गोचर में कुछ व्यक्तियों द्वारा पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत की गई जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, श्रमिक व कारीगरों के आबादी भूमि में निःशुल्क आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1974 में भू–खण्डों के पट्टे आवंटित किये गये थे। जिसमें जैर निगरानी पट्टे के साथ–साथ 28 लोगो का अतिक्रमण है उनमे से 16 लोगो के पक्के निर्माण है, जिनमें से 5 लोगो के पास पट्टे है, 12 व्यक्तियों द्वारा कच्चे निर्माण व बाडे बना कर अतिक्रमण किया हुआ था जिनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत मेव की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 के अनुसार खसरा नम्बर 555 में जारी 5 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा जारी निःशुल्क पट्टे की सूची में क्रं.सं. 3 पर अप्रार्थी ढगलाराम पुत्र नारायणलाल जाति मेघवालन निवासी रामासनी सादंवान का नाम अंकित है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 – विक्रय की शक्ति से आबादी भूमि के कतिपय प्रवर्गों का अपवर्जन के उपनियम 3 के तहत ''पंचायत सर्किल के भीतर चारागाह भूमियों का और आबादी के विस्तार के लिए अकृष्य बंजर भूमियों का आवंटन, राजस्थान भ–राजस्व अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से शासित होगा।'' साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत भी गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि, अन्य प्रयोजनार्थ हेतु प्रतिबंधित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गैर मुमकिन गोचर भूमि में जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है।

अति. जिला कलेक्टर पाली

इसके अतिरिक्त ग्राम रामासनी सांदवान पटवार हल्का थरासनी तहसील सोजत की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार खसरा संख्या 555 किस्म गै.मु.गोचर है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड भी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं होना, हस्तगत पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया गया कि अप्रार्थी सन्दर्भित नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है या नही ? जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार जैर निगरानी आराजी की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसी प्रकार 2023/RJJD/010979 टीकुराम गुर्जर बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है।" प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै.मु. गोचर है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मेव द्वारा अप्रार्थी ढगलाराम पुत्र नारायणलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11306 दिनांक 27.12.1974 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली